न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 48/2018

अपीलान्ट्स

चुन्नीलाल उर्फ चुन्नाराम पुत्र अन्नाराम, जाति कुम्हार, निवासी गुमानपुरा तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. सगताराम पुत्र श्री अन्नाराम
2. द्वारकाराम पुत्र श्री अन्नाराम
3. गजाराम पुत्र श्री अन्नाराम,
   जातियान कुम्हार, निवासी गुमानपुरा तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर।
4. तहसीलदार शेरगढ़ जिला जोधपुर।
5. प्रबन्धक जोधपुर सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा बालेसर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश क्रमांक 2012/2864 बंटवाडा दिनांक 05.07.2012 तहसीलदार शेरगढ़ द्वारा उक्त आदेश के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकार किया गया।

————

उपस्थिति :—

1. अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री अनोपसिंह सोलंकी उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से अभिभाषक श्री सिद्धार्थ परिहार उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांक :—25.07.2019

अपीलान्ट अभिभाषक ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश क्रमांक 2012/2864 बंटवाडा दिनांक 05.07.2012 तहसीलदार शेरगढ़ द्वारा उक्त आदेश के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकार किया गया के विरूद्ध पेश की है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अन्नाराम का सजरा खानदान अनुसार चुन्नीलाल, सकताराम, द्वारकाराम, गजाराम व बागाराम। बागाराम के फौत होने पर रेवताराम, चैनाराम, सवाईराम, लेहरो है। ग्राम गुमानपुरा तहसील शेरगढ़ के खेत खसरा नं0 96 रकबा 98.11 बीघा, खसरा नं0 106/1 रकबा 8.05 बीघा में स्थित है। उक्त दोनों खसरों की भूमि की अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 ने सयुक्त रूप से क्रय की थी। इस प्रकार पक्षकारान् की पुश्तैनी भूमि से कोई सरोकार नहीं है। तय करने के पश्चात् अपीलान्ट तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 संयुक्त रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 की नियत [illegible] होने से अपीलान्ट का 1/4 हिस्सा हड़प करने की नियत से अपीलान्ट को अंधेरे में रखकर [illegible] जोत विभाजन पर करवा लिया। जिसकी अपीलान्ट को जानकारी नहीं थी। इसमें यह भी उल्लेख कर दिया कि चुन्नीलाल के खसरा नं0 88 मे रकबा 56.11 बीघा हिस्से मे आई [illegible] होने से इन

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.10.27 16:50:27 IST
Reason: SelfAttested

खसरों में भूमि हिस्से में नहीं आई है। यह गलत है कारण कि इस खसरों की भूमि चारों खरीदशुदा होने से पट्टे का 1/4–1/4 हिस्सा है। इसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट को उसके 1/4 हिस्से से वंचित कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

अपीलान्ट अभिभाषक द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से श्री सिद्धार्थ परिहार ने वकालतनामा प्रस्तुत किया और तहसीलदार शेरगढ़ के पत्राक क्रमांक 32 दिनांक 03.01.2019 के द्वारा मूल रेकर्ड प्राप्त किया जाकर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस दिनांक 25.06.2019 को सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक श्री अनोपसिंह सोलंकी ने अपनी बहस शुरू करते हुए प्रस्तुत अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी लिखित बहस में कथन किया कि बंटवाड़ा आदेश क्रमांक 2012/2864 दिनांक 05.07.2012 के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकार किया गया जिसको अपील में चुनौती दी है। बंटवाड़ा आदेश बिना राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किये ही पारित कर दिया गया जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य होना बताया।

खेत खसरा नं0 96 रकबा 98.11 बीघा व खसरा नं0 106/1 रकबा 8.05 बीघा जो ग्राम गुमानपुरा तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर में स्थित है। इन खसरान् की भूमि में से अपीलान्ट तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 संयुक्त रूप से खरीद की गई। जिसका नामान्तरकरण भी स्वीकृत हो गय। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 की नियत खराब होने से अपीलान्ट का 1/4 हिस्सा हड़प करने की नियत से अपीलान्ट को अंधेरे में रखकर अगुठा जोत विभाजन पर करवा लिया। जिसकी अपीलान्ट को जानकारी नहीं थी। जिसमें यह भी उल्लेख कर दिया कि चुन्नीलाल के खसरा नं0 88 में रकबा 56.11 बीघा हिस्से मे आई हुई होने से इन खसरों में भूमि हिस्से में नहीं आई है। यह गलत है कारण कि इस खसरों की भूमि चारों खरीदशुदा होने से पट्टे का 1/4–1/4 हिस्सा है। इसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट को उसके 1/4 हिस्से से वंचित कर दिया।

अपीलान्ट अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि सहमति बंटवाड़ा करने से पूर्व सभी की सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है परन्तु इस प्रकार से बंटवाड़े बाबत् अपीलान्ट ने अपनी सहमति नहीं दी। अपीलान्ट को धोखे में रखकर अंगूठे का निशान करवा दिया।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के विद्वान अभिभाषक श्री सिद्धार्थ परिहार ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट अभिभाषक द्वारा यह अपील भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत गलत पेश की है। वास्तव में बंटवाड़े के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण की अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत की जानी है। उन्होंने यह भी कथन किया कि उक्त बंटवाड़ा आपसी सहमति से किया है। आपसी सहमति पर अपीलान्ट चुन्नीलाल का अगूंठे का निशान भी है। अपीलान्ट चुन्नीलाल का नाम स्वीकृत नामान्तरकरण में अंकित नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.10.27 16:40:27 IST
Reason: SelfAttested

है, उसने अपील के साथ 96 (3) सी0 पी0 सी0 के तहत न्यायालय से अनुमति प्राप्त नहीं की। अतः अपील खारिज किये जाने योग्य बताया।

प्रस्तुत अपील में प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया इस अपील में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। इस प्रकरण में तथ्यात्मक स्थिति यह है कि ग्राम गुमानपुरा तहसील शेरगढ़ के खसरा नं0 96 रकबा 98.11 बीघा व खसरा नं0 106/1 रकबा 9.05 बीघा कुल 107.16 बीघा नामान्तरकरण संख्या 248 के कॉलम संख्या 14 के अनुसार चुन्नीलाल, सकताराम, द्वारकाराम, गजाराम पिता अन्नाराम कौम कुम्हार द्वारा संयुक्त रूप से जरिये रजिस्टर खरीद की गई। जिसमें प्रत्येक का हिस्सा 1/4–1/4 था। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 ने मिलकर आपसी सहमति से बन्टवाडा कर तहसीलदार शेरगढ के समक्ष प्रस्तुत कर विभाजन का आदेश पारित करवा दिया। दूसरे पक्षकारों को अन्य खसरों में भूमि देने की सहमति दी। उक्त भूमि का बंटवाड़ा तहसीलदार, शेरगढ़ ने अपने पंत्राक भू0अ0/बंटवाड़ा/2012/2864 दिनांक 05.07.2012 को कर दिया। यह जोत विभाजन के प्रस्ताव से भी प्रमाणित होता है। उक्त बंटवाड़े में अपीलान्ट चुन्नीलाल के अंगूठे का भी निशान है जिसकी पहचान पटवारी हल्का देचू ने की तथा जिसे तहसीलदार (भू0 अ0) शेरगढ़ द्वारा प्रमाणित किया गया है। अतः तहसीलदार ने पक्षकारों की सहमति से विभाजन स्वीकार किया है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से एतद् खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.10.27 16:50:27 IST
Reason: SelfAttested